

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला -

भीलवाड़ा

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

::आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी की वभूअभिलेख निरीक्षक
 2012/16 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर
 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम
 हल्का तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2-24-78 में
 खाता संख्या में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप
 से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	श्रीका वासि	115	2200 रु	आतू 300 रु रिह 1700 रु

उपखण्ड अधिकारी
 करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

क्रमांक:- न्यायालय/2021/14

दिनांक:- 2/12/21

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री

उपखण्ड अधिकारी
 करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा